


न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केंप भोपाल

निम्न - २१९ - ४३८१६



प्रकाशचंद्र शुक्ला आ.राधेलाल शुक्ला

निवासी फौजदार पेट्रोल पंप के सामने

रसूलिया होशंगाबाद तह. व जिला

होशंगाबाद ..... आवेदक

बनाम

१. राकेश कुमार शुक्ला आ.राधेलाल शुक्ला

निवासी प्रताप नगर रसूलिया तहसील व

जिला होशंगाबाद.


२. विजय भारतेंदु शुक्ला आ.राधेलाल शुक्ला

अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुरवाई

३. संदीप कुमार आ.राधेलाल शुक्ला

निवासी रेंज आफिस लुधावली रोड

फारेस्ट कालोनी शिवपुरी ..... अनावेदकगण



पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदक के द्वारा यह पुनरीक्षण याचिक आयुक्त महोदय नर्सदापुरम संभाग होशंगाबाद के द्वितीय अपील प्र.क. 224 / अपील वर्ष 2009-10 प्रकाशचंद्र बनाम राकेश कुमार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 17.9.15 से क्षुब्धि एवं व्यथित होकर आदेश की जानकारी प्राप्त होने के आधार पर प्रस्तुत की जा रही है।

✓  
✓✓✓

गुरुवार ५ अक्टूबर

XXXXIV(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-खालियर

R २१७९ प्र० १६ जिला दैत्यालय  
अनुच्छेद आदेश पृष्ठ  
प्रकरण क्रमांक.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रश्नकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.1.2017	<p>आवेदक जी और से कोई भी उपलब्ध नहीं। अनोन्हेक उमाने पर खेल आवेदन। यह सिंगलनी अपर आमुल के आदेश दिनांक १७.९.२०१५ के अधिकृत उस घोषावाप्ति में दिनांक २४.६.२०१६ को ७ माह ले नी आवेदन विवरण से प्रस्तुत की गई है और अवधि विवरण की बात ८ के आवेदन पर मैं विवरण का समर्झन को कर का चाल नहीं दर्शाया गया है। अर्ति यह सिंगलनी अवधि बाह्य प्रस्तुत होने से अछादन की जाती है।</p> <p>अ. अ. अ. अ.</p>	